न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निग0 3972–एक/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 31–10–14 पारित द्वारा एडीशनल कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर प्रकरण क्रमांक अपील 875/अ–68/13–14.

अजय कुमार पाण्डे पिता श्री कष्ण कुमार पान्डे,
निवासी मौजा पिपरिया (खम्हरिया) तहसील पनागर
जिला जबलपुर ---- आवेदक

विरूद्ध

म0 प्र0 शासन

---- अनावेदक

श्री एन.के. पटेल, अधिवक्ता, आवेदक .

:: आदेश ::

(आज दिनांक 22–12–2015 को पारित)

यह निगरानी अपर आुयक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 875/अ–68/13–14 में पारित आदेश दिनांक 3–11–12 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पिपरिया जिला जबलपुर में पदस्थ पटवारी द्वारा दिनांक 17–10–12 को ग्राम पिपरिया स्थित शासकीय पहाड़ चट्टान मद में दर्ज भूमि पर आवेदक का अवैध कब्जा दर्शाते हुए बेजा कब्जा रिर्पोट तहसीलदार

पनागर के समक्ष पेश की जिसमें लेख किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि सर्वे नं. 294/1 रकबा 46.02 हैक्टर में से 0.80 हैक्टर एवं खसरा नंबर 283 रकबा 1.32 हैक्टर भूमि पर फसल बोकर कब्जा किया है । विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रतिवेदन पर से प्रकरण पंजीबद्ध का आवेदक को कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया जिसका जबाव आवेदक द्वारा पेश किया गया जिसमें कहा गया कि उसके द्वारा शासकीय भूमि पर कोई कब्जा नहीं किया है उसके द्वारा किया गया निर्माण कार्य उसकी स्वयं की भूमि पर है तथा कच्च निर्माण है, बिना सीमांकन के यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदक का शासकीय भूमि पर कोई कब्जा है । जबाव में यह भी लेख कियाग या कि सीमांकन उसके समक्ष किया जाकर अतिक्रमण भूमि उसे बताई जाये तो वह उसका कब्जा छोड़ने को तैयार है । विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 22–11–12 द्वारा आवदे के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित किया तथा रूपये 2,01,400/– का अर्थदण्ड भी लगाया गया तथा बेजा कब्जा भूमि पर से हटाने के आदेश दिए । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील की जो उन्होंने निरस्त की । द्वितीय अपील अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है ।

3/ प्रकरण में आवेदक की ओर से लिखित बहस पेश की गई है ।

4/ अनावेदक शासन की ओर से कोई उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ आवेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण अवैध आधिपत्य के संबंध में है । आवेदक का अधीनस्थ

न्यायालय के समक्ष यह कथन रहा है कि अस्थाई शेड जो बने हैं वे बिना सीमांकन के नहीं जाने सकते हैं कि वे शासकीय भूमि पर हैं अथवा नहीं और इसलिए उसका यह कहना है कि एक व्यक्ति लब्बू आदिवासी के द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा किया गया है और दूसरे व्यक्ति द्वारा शेड बनाए गए हैं । अभिलेख से यह पाया जाता है कि आवेदक को सूचना देकर सुनवाई का अवसर दिया गया पटवारी के ब्यान पर उसने कोई कूट परीक्षण नहीं किया और पटवारी ने स्पष्टतया अपने कथन में यह कहा है कि आवेदक ने अवैध आधिपत्य किया है । यदि यह भी मान लिया जाये कि आवेदक ने अवैध आधिपत्य नहीं किया है तो धारा 248 के अंतर्गत विचारण न्यायालय ने अवैध आधिपत्य को हटाने के आदेश दिए हैं और यदि किसी अन्य का अवैध आधिपत्य है तो आवेदक के परिवेदित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है । ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का जो आदेश है वह उचित और न्यायिक है जिसकी पुष्टि करने में अपीलीय न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर